

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या-सी- 9 /ग्रेच्युटीसेलएवंबीमा/2017-18 दिनांक :22.04.2017

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,
उत्तर प्रदेश।

विषय- 'ग्रुप इश्योरेंस' एवं 'ग्रुप पेंशन' योजना के सम्बन्ध में।

बैंक में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के हितार्थ वर्तमान में “बचतमय सामूहिक बीमा योजना” लागू है। दिनांक 01.09.2013 को आई०आर०डी०ए० द्वारा बैंक के नव-नियुक्त सदस्यों हेतु उक्त बचतमय सामूहिक बीमा योजना को बन्द कर दिया गया है जिसके कारण दिनांक 01.09.2013 के पश्चात् बैंक में नव-नियुक्त कर्मचारियों का पंजीकरण उक्त योजना में नहीं हो सका है। अतः बैंक में नव-नियुक्त कर्मचारियों तथा पूर्व योजना से आच्छादित कर्मचारियों/अधिकारियों को छटे वेतनमान के अनुरूप बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु ग्रुप इश्योरेंस एवं ग्रुप पेंशन योजना अपनाया जाना है। बैंक में वर्तमान में लागू “ग्रुप सेविंग लिन्क्ड इश्योरेंस प्लान” निम्नवत् है जो यथावत् जारी रहेगा—

| श्रेणी | पद नाम | बीमा आच्छादन धनराशि | कर्मचारी द्वारा भुगतानित मासिक प्रीमियम | रिस्क प्रीमियम | बचत राशि | दुर्घटना बीमा प्रीमियम(जो बैंक द्वारा वहन किया जाता है) |
|--------|---|---------------------|---|----------------|----------|---|
| अ. | निजी सचिव, वरि०प्र०/प्रबन्धक श्रेणी-2 एवं उससे ऊपर के अधिकारी | 160000.00 | 160.00 | 88.00 | 72.00 | 10.00 |
| ब. | ऑफिक,फी०आ०,स्टेनो,वैयक्तिक सहायक एवं शाखा प्रबन्धक/प्रबन्धक श्रेणी-1, | 120000.00 | 120.00 | 66.00 | 54.00 | 7.50 |
| स. | सहा०ऑफिक,सहा०फी०आ०,अवरटंकक,प्रवर टंकक,डाटाइण्ट्री ऑपरेटर एवं समकक्षीयपद | 80000.00 | 80.00 | 44.00 | 36.00 | 5.00 |
| द. | समूह घ के समस्त पद (सहयोगी,ड्राइवर आदि) | 40000.00 | 40.00 | 22.00 | 18.00 | 2.50 |

अग्रेतर बैंक प्रबन्ध समिति की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुपालन में भारतीय जीवन बीमा निगम से “ग्रुप इश्योरेंस एवं ग्रुप पेंशन योजना” नाम की एक नई योजना को इस संस्था द्वारा अपनाये जाने का निर्णय लिया गया है। नई प्रस्तावित योजना में नवनियुक्त कार्मिकों के अतिरिक्त पुराने कर्मचारी/ अधिकारी जो वर्तमान में ग्रुप सेविंग लिन्क्ड इश्योरेंस प्लान से आच्छादित हैं और इस नयी योजना हेतु सहमति देते हैं तो उन्हें इस योजना में सम्मिलित किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि जो कार्मिक वर्तमान में लागू ग्रुप सेविंग लिन्क्ड इश्योरेंस प्लान से आच्छादित हैं उनका प्लान यथावत् जारी रहेगा। प्रस्तावित योजना की मुख्य विशेषतायें एवं कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा पूर्ण की जाने वाली औपचारिकतायें निम्नवत् हैं—

- (1). उक्त योजना का नाम “ग्रुप इश्योरेंस एवं ग्रुप पेंशन योजना” है।
- (2). यह योजना छठे वेतनमान में लागू सामूहिक बीमा व्यवस्था के अनुरूप बैंक कर्मचारियों / अधिकारियों को सामूहिक बीमा योजना से आच्छादित किये जाने हेतु तैयार की गयी है।
- (3). इस योजना में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना एवं पेंशन दोनों का लाभ सन्निहित है।

योजना का उद्देश्य -

- (1). न्यूनतम दर पर बीमा सुरक्षा प्रदान करना।
- (2). कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के पश्चात् पेंशन फण्ड की उपलब्ध धनराशि के अनुसार मासिक पेंशन प्रदान करना।

प्रीमियम का भुगतान -

प्रीमियम की पूरी धनराशि कर्मचारी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी जिसके लिए बैंक द्वारा कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह मासिक अंशदान की धनराशि काटकर सम्पूर्ण धनराशि जीवन बीमा निगम को भेजी जायेगी प्रस्तावित योजना के अर्न्तगत जीवन बीमा निगम द्वारा कर्मचारियों का वर्गीकरण तीन वर्गों में किया गया है। तदनुसार बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके ग्रेड वेतन के अनुसार तीन वर्गों में विभक्त करके प्रस्तावित अधिकतम जोखिम धनराशि,प्रीमियम एवं बचत धनराशि आदि का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया जा रहा है—

| श्रेणी | ग्रेड वेतन | मासिक अभिदान की दर (रूपये) | बीमाआच्छादन की धनराशि (रूपये) | रिस्क प्रीमियम | बचतराशि (पेंशन फण्ड में हस्तांतरित की जायेगी) |
|--------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|---|
| अ | रु0 5401/-से अधिक | 400/- | 4,00,000.00 | 118.60 | 281.40 |
| ब | रु0 2801/-से रु0 5400/ तक | 200/- | 2,00,000.00 | 59.30 | 140.70 |
| स | रु0 2800/-तक | 100/- | 1,00,000.00 | 29.65 | 70.35 |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कर्मचारियों/अधिकारियों के ग्रेड वेतन के अनुसार जोखिम धनराशि रु0 1.00 लाख से लेकर अधिकतम रु0 4.00 लाख तक है और मासिक अंशदान रु0 100.00 से लेकर 400.00 तक है।

हितलाभ-

यदि किसी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति को बीमित राशि एवं उपलब्ध पेंशन फण्ड के अनुसार मासिक पेंशन देय होगी। यदि सेवा से पृथक होने के उपरान्त पेंशन प्रारम्भ होने के पश्चात् कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पेंशन फण्ड में उपलब्ध समस्त धनराशि को उसके द्वारा नामित व्यक्ति को वापस कर दिया जायेगा। तदुपरान्त ऐसा व्यक्ति योजना से बाहर हो जायेगा। कर्मचारी के जीवित रहने की दशा में उसे सेवा से पृथक होने के उपरान्त 100 वर्ष की आयु तक मासिक पेंशन मिलती रहेगी। कर्मचारी के पेंशन खाते में जमा धनराशि पर वर्तमान में लागू व्याज दर 8.05% है, जो समय-समय पर परिवर्तित होती है। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र की दशा में कर्मचारी के पेंशन फण्ड में उपलब्ध राशि यदि ₹01,85,000/-से कम अथवा अधिक है, तो इस कर्मचारी को 1,000/- (₹0 एक हजार मात्र) से कम अथवा अधिक मासिक पेंशन देय होगी। हालाँकि योजना के अन्तर्गत किसी भी कर्मचारी को ₹0 400/- (₹0 चार सौ मात्र) न्यूनतम वार्षिक पेंशन के रूप में देय होंगे, जिसके लिये पेंशन फण्ड में मात्र ₹0 6000/- (₹0 छः हजार मात्र) उपलब्ध होना चाहिये। यदि उसके फण्ड में उपलब्ध राशि ₹0 6,000/- (₹0 छः हजार मात्र) से कम है तो एकमुश्त वापस कर दिया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त कोई भी कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर अपनी पेंशन फण्ड की राशि का 33 प्रतिशत सारांशीकरण (Commutation) स्वेच्छा से प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार प्राप्त की गयी राशि पूर्णतः करमुक्त होगी।

कर-लाभ

प्रस्तावित योजना में मासिक अंशदान की धनराशि पर आयकर की धारा 80सी0 का लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के पश्चात् प्राप्त धनराशि आयकर एवं सम्पत्ति कर से मुक्त होगी।

औपचारिकतायें कर्मचारी एवं अधिकारी स्तर पर -

प्रस्तावित योजना को लागू करने हेतु वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों में से असहमति व्यक्त करने वाले कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारी इस योजना के सदस्य होंगे। योजना लागू होने के बाद नये आने वाले सभी कर्मचारियों पर यह योजना स्वतः लागू होगी। इस योजना में कर्मचारियों को कोई मेडिकल परीक्षण नहीं कराना होगा।

अतः दिनांक 30.05.17 तक संलग्न प्रारूप पर असहमति/सहमति प्रधान कार्यालय के ग्रेच्युटी सेल एवं बीमा अनुभाग को प्रेषित कर दें जिससे कि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक-असहमति/सहमति पत्र का प्रारूप

ह0/-

(श्रीकान्त गोस्वामी)

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1). समस्त अनुभाग अधिकारी, उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वे अपना तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का असहमति/सहमति पत्र ग्रेच्युटी सेल अनुभाग को विलम्बतम् 30.05.2017 तक प्राप्त करा दें।
- (2). प्राचार्य/ प्रबन्धक श्रेणी-3, उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वे अपने कार्यालय के कर्मचारियों/ अधिकारियों का असहमति/सहमति पत्र विलम्बतम् 30.05.2017 तक मुख्यालय के ग्रेच्युटी सेल एवं बीमा अनुभाग को प्राप्त करा दें।
- (3). समस्त अधिकारीगण, उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपना असहमति/सहमति पत्र दिनांक 30.05.2017 तक ग्रेच्युटी अनुभाग में उपलब्ध करा दें।
- (4). उप महा प्रबन्धक(कम्प्यूटर), उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को उपरोक्त परिपत्रों को समस्त शाखाओं हेतु ई-मेल करने हेतु।

संलग्नक-असहमति/सहमति पत्र का प्रारूप ।

ह०/-

(आर०बी०गुप्ता)

मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशासन)

:: असहमति/सहमति पत्र का प्रारूप ::

उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० प्रधान कार्यालय, लखनऊ

प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०

लखनऊ।

विषय- ग्रुप इंश्योरेंस एवं ग्रुप पेंशन योजना ।

महोदय,

आपके उपर्युक्त विषयक परिपत्र संख्या- दिनांक को मैंने भलीभाँति पढ़ लिया है और सोच-समझकर एतद्द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रुप इंश्योरेंस एवं ग्रुप_पेंशन योजना जो बैंक में कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए लागू की जा रही है के सम्बन्ध में निम्नलिखित विकल्प देता/देती हूँ।

1. मैं उक्त योजना को ग्रहण करने की घोषणा करता/करती हूँ, अतः मैं उक्त योजना हेतु अपनी सहमति व्यक्त करता/करती हूँ।

अथवा

2. मैं उक्त योजना को ग्रहण न करने की घोषणा करता/करती हूँ, अतः मैं उक्त योजना हेतु अपनी असहमति व्यक्त करता/करती हूँ।

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम

पिता/पति का नाम

पद

जन्मतिथि

स्थायी पता.....

बैंक में योगदान तिथि

नियुक्ति स्थान

ई०पी०एफ० खाता सं०.....

श्री के उपरोक्त हस्ताक्षर

प्रमाणित ह०.....

दिनांक

नाम

पद

कार्यालय

नोट-उक्त दिये गये विकल्पों (1 अथवा 2) में से ग्रहण किये गये विकल्प (1 अथवा 2) पर टिक (✓) का निशान अवश्य लगा दें तथा अन्य विकल्प को पूरी तरह से काट दें।